न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 17/2023

1 श्रीमती पतासी पुत्री स्व. फुलाराम स्त्री मालीराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम बदनगढ़ तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू हाल निवासी इस्लामपुर तहसील व जिला झुन्झुनू राज.।

अपीलांट्स/प्रार्थी

बनाम

1 प्रभूराम पुत्र स्व. सूरजाराम जाति मेघवाल निवासी बदनगढ़ तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.।
2 विधाधर पुत्र अर्जुनराम जाति ब्राह्मण निवासी बदनगढ़ तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.।
3 भगवानाराम पुत्र झूथाराम जाति मेघवाल निवासी बदनगढ़ तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू।
4 राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 आर.टी.एक्ट 1955
अपील खिलाफ निर्णय व डिक्री दिनांक 21.12.2022
बअदालत उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा जिला झुन्झुनू
मुकदमा उनवानी पतासी बनाम प्रभुराम वगै. मु.नं.
107/2014 दावा बाबत घोषणा, रिकार्ड दुरूस्ती
व स्थाई निषेधाज्ञा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री राजेश पुनियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री रविराज सिंगोदिया, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 30.9.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा द्वारा मुकदमा नम्बर 107/2014 में पारित निर्णय दिनांक 21.12.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि जमीन गत खसरा नम्बर 99 तादादी 10 बीघा 1 बिश्वा सरहद राजस्व ग्राम बदनगढ़ तहत तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू में स्थित है। उक्त जमीन के दौराने हाल खसरा नम्बर 315 रकबा 0.84 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 316 रकबा 0.86 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 317 रकबा 0.84 हैक्टेयर बने। उक्त जमीन में से खसरा नम्बर 315 में से 0. 11 हैक्टेयर संपरिवर्तित होने के कारण खसरा नम्बर 604/315 कायम हुये तथा खसरा नम्बर 316 में से 0.09 हैक्टेयर सपंरिवर्तित होने से खसरा नम्बर 605/316 कायम हुये। उपरोक्त जमीन बाबत अपीलान्ट ने विचारण न्यायालय के समक्ष एक वाद पत्र बाबत घोषणा, रिकार्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया। वाद पत्र में प्रतिवादी पक्षकार द्वारा जिरह में काफी अवसर लेकर वाद पत्र में रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 प्रभू ने दिनांक 19.07.2022 को आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 का प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जा.दी. दिनांक 21.12.2022 को स्वीकार कर अपीलान्ट का दावा दिनांक 21.12.2022 को खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनू)

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि जमीन तत्कालीन ठिकाना की जमीन थी। उक्त जमीन को अपीलान्ट का पिता तत्कालीन ठिकाना से लगान के बदले काश्त हेतु प्राप्त की थी तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने पर उक्त जमीन का खातेदार फुलिया पुत्र बिड़दा हुआ। उक्त जमीन के बाबत नामान्तकरण संख्या 33 गलत रूप से फुलाराम के साथ–साथ शंकर व सूरजा के नाम भी गलत रूप से स्वीकृत कर दिया जबकि नामान्तकरण संख्या 33 से पूर्व उक्त जमीन का राजस्व रिकार्ड सिर्फ अपीलान्ट के पिता फुला के नाम दर्ज रहा है तथा शंकर नाऔलाद फौत होने पर व सूरजा के देहान्त होने के बाद गलत रूप से नामान्तकरण सूरजा के पुत्र प्रभू व सूरजा की स्त्री मालड़ी के नाम भी गलत नामान्तकरण दर्ज कर दिया। अपीलान्ट ने आगे दावा में यह दर्ज किया कि अपीलान्ट की माता नानड़ी के देहान्त होने के बाद व अपीलान्ट की बहिन गीता के नाऔलाद फौत होने के कारण उक्त सम्पूर्ण जमीन की खातेदार अपीलान्ट ही है। जमीन खसरा नम्बर 604/315 रकबा 0.11 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 605/316 रकबा 0.09 हैक्टेयर जमीन की किस्म आवासीय है मौजुदा प्रकरण में दिनांक 10.02.2020 को तनकीयात कायम हो चुके है। दावा व जवाब दावा के आधार पर प्रकरण के कुल 6 तनकी कायम की है। प्रकरण में तनकी संख्या चार इस प्रकार कायम की है कि 'आया जमीन खसरा नम्बर 604/315 व खसरा नम्बर 605/316 आबादी भूमि है। इस कारण वाद पत्र को सुनने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है।' मौजुदा प्रकरण में आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के प्रावधान लागू नहीं होते। कानून से क्षेत्राधिकार के आधार पर दावा खारिज नहीं किया जा सकता। क्षेत्राधिकार पर कानून से प्राथमिक तनकी कायम कर बाद पक्षकारान की साक्ष्य तनकी पर निर्णय पारित करना चाहिए। विचारण न्यायालय ने वादपत्र को आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के आधार पर सम्पूर्ण वाद पत्र को खारिज करने में कानूनी गलती की है। प्रकरण में खसरा नम्बर 315 रकबा 0.57 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 316 रकबा 0.84 हैक्टेयर कृषि भूमि है। कृषि भूमि की हद तक दावा आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तहत

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

खारिज नहीं करना चाहिए था। अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 21.12.2022 खारिज की जाकर प्रकरण को विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जावे कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 315 रकबा 0.57 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 316 रकबा 0.60 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 317 रकबा 0.84 हैक्टेयर वाके ग्राम बदनगढ़ बाबत पक्षकारान की साक्ष्य लेकर सुनवाई का समुचित अवसर देकर गुणावगुण पर निर्णय पारित करें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि पत्रावली में विवादित जमीन हाल खसरा नम्बर 315 रकबा 0.68 हैक्टेयर खसरा नम्बर 316 रकबा 0.69 हैक्टेयर व जमीन खसरा नम्बर 317 रकबा 0.84 हैक्टेयर है। जिसमें खसरा नम्बर 315 में से 0.11 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 316 में से 0.09 हैक्टेयर जमीन कृषि भूमि से आवासीय भूमि में संपरिवर्तन हो जाने से आबादी भूमि दर्ज की जा चुकी है। आबादी भूमि दर्ज होने से इन भूमियों के संदर्भ में सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पत्रावली में विवादित जमीन हाल खसरा नम्बर 315 रकबा 0.68 हैक्टेयर खसरा नम्बर 316 रकबा 0.69 हैक्टेयर व जमीन खसरा नम्बर 317 रकबा 0.84 हैक्टेयर है। जिसमें खसरा नम्बर 315 में से 0.11 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 316 में से 0.09 हैक्टेयर जमीन कृषि भूमि से आवासीय भूमि में संपरिवर्तन हो जाने से आबादी भूमि दर्ज की जा चुकी है। आबादी भूमि दर्ज होने से इन भूमियों के संदर्भ में सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज करने में कोई विधिक

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 30.9.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर